

संख्या 4-3/2016-बीपी-2 (सबला)

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन नई दिल्ली
दिनांक 11 अप्रैल 2016

कार्यालय जापन

विषय :राजीव गांधी कृषि सशक्तीकरण योजना (आरजीएसईएजी) - 'सबला' के अंतर्गत वर्ष 2016-17 के लिए खाद्यान्नों का आवंटन।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के दिनांक 8 फरवरी, 2016 के पत्र संख्या एसएबी-11012/70/2016-ओ/ओ एडी एसएबीएलए का हवाला देने तथा राजीव गांधी कृषि सशक्तीकरण योजना (आरजीएसईएजी) - 'सबला' के अंतर्गत वर्ष 2016-17 (अप्रैल 2016 से मार्च 2017) के लिए गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर 1.45 लाख टन गेहूँ, 1.25 लाख टन चावल, 1750 टन मक्का तथा 1100 टन रागी (मक्का एवं रागी केवल तमिलनाडु राज्य के लिए है) के आवंटन हेतु इस विभाग का अनुमोदन सूचित करने का निर्देश हुआ है।

- खाद्यान्नों की लागत जमा करने तथा उठान के संबंध में वैधता अवधि मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से अनुरोध है कि वह राज्यवार आवंटनों को अविलंब जारी करें ताकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आवंटनों का निर्धारित वैधता अवधि के भीतर उठान कर सके। इस स्कीम के अंतर्गत किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटनों का ब्योरा भी तत्काल इस विभाग को भेजा जाए।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटन के अनुसार भारतीय खाद्य निगम पूर्व-भुगतान आधार पर गेहूँ और चावल जारी करेगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यह भी सुनिश्चित करें कि इस स्कीम के अंतर्गत उसके द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी खाद्यान्नों के संबंध में भारतीय खाद्य निगम को पूर्ण भुगतान प्राप्त हो।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से अनुरोध है कि इस विभाग द्वारा अंतिम आवंटन पर विचार करने के लिए वह इस कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्यान्नों की तिमाही एवं अंतिम वार्षिक आवश्यकताओं का ब्योरा प्रेषित करें। उससे यह भी अनुरोध है कि वर्तमान वित्त वर्ष की समाप्ति पर वर्ष 2015-16 के लिए राजीव गांधी कृषि सशक्तीकरण योजना (आरजीएसईएजी) - 'सबला' के अंतर्गत उन्हें आवंटित खाद्यान्नों के संबंध में संबंधित उप सचिव/निदेशक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित निर्धारित प्रारूप जीएफआर-19 ए में उपयोगिता प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करें। वर्ष 2015-16 के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही अतिरिक्त आवंटन के संबंध में अनुरोधों पर विचार किया जाएगा।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस स्कीम के अंतर्गत संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा खाद्यान्नों के उठान की नियमित निगरानी करें तथा खाद्यान्नों का उठान वैधता अवधि के भीतर किया जाना भी सुनिश्चित करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि खाद्यान्नों का यह आवंटन अन्यत्र हस्तांतरित नहीं किया जाता है तथा अधिकतम सीमा तक उठान किया जाता है जिससे कि लक्षित लाभभोगियों को इस स्कीम का पूरा लाभ प्राप्त हो सके।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सबला के तहत अनुमानित आवश्यकता मंत्रिमंडल अथवा आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडल समिति (व्यय वित्त समिति सहित) के अनुमोदन से हो।

असित
(असित हलदर)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23383206

सेवा में,

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
(श्री मनोज कुमार, अवर सचिव)
शास्त्री भवन नई दिल्ली।